2017/00109

f-17

DFP

मोहल 29/06/2017

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम..........

भैयालाल ....बनाम .... थाना पत्रोग

किस्म मुकदमा [illegible] .... नं. 201/17 .... सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/6/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिधाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111/128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/6/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/06/17	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत केसुम्बला भाटियान में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हुआ प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी ने पूर्व में अपने खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाया गया जिसकी रिपोर्ट पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता खातेदारी खेतों के चारों ओर पत्थर मेड़बन्दी पर भारी नहीं होने के कारण प्रार्थी की नेहड़बन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी की नेहड़बन्दी	

Scanned by CamScanner

आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपामबन्दी आदेश
किया जावे का निवेदन किया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेपामबन्दी
आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार [illegible] को
कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी
भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी
खेतों की पत्थरी नेपामबन्दी मौके पर शुल्क जमा-
कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर
से 34 हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(न्याय आपके द्वार 2017 केम्प कोर्ट,केसुम्बला भाटियान)

कमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2017 / 843 दिनांक:– 29 / 06 / 2017

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1 भंवर लाल पुत्र हरजीराम
निवासी सियोलो कि ढाणी हीरा कि ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1 थानाराम पुत्र जेताराम वगैरा 32
निवासी खोथो कि ढाणी हीरा कि ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या:– 201 / 17

आदेश

मौजा सियोलो कि ढाणी पटवार हल्का हीरा कि ढाणी के खेत खसरा नम्बर 61 / 14 रकबा 51.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी भी अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक को प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु

कमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 844 to 848 दिनांक:–29 / 06 / 2017

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा ।
2. पटवारी हल्का हीरा कि ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री भंवर लाल पुत्र हरजीराम ।
4. विप्रार्थी श्री थानाराम पुत्र जेताराम वगैरा 32।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner